

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

सहमति-सह-घोषणा फार्म

(स्वीकृत 'नामांकन अवधि' के दौरान योजना में शामिल होने वाली सदस्यों द्वारा भरा जाए)

एजेंसी/बीसीकोड _____

बचत बैंक खाता सं./ रुपये कार्ड सं.

योजना में शामिल होने की तिथि : 1 जून/जुलाई/अगस्त/सितंबर 2015

1. पूरा नाम	5. मोबाईल/संपर्क सं.
2. पता	6. आधार सं., यदि उपलब्ध हो _____
3. जन्मतिथि (केवाईसी दस्तावेज के अनुसार) _/_/_/____ (दिन/माह/वर्ष)	7. क्या किसी अशक्तता से प्रभावित है _____ यदि हाँ तो उसका विवरण _____
4. ई-मेल आईडी _____	8. नामिति का नाम व पता, यदि कोई है, तथा उसके साथ संबंध
9. अभिभावक का नाम व पता, यदि नामिति नाबालिग है _____	

मैं एतद्वारा 'प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना' का सदस्य बनने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ/करती हूँ जो उपरोक्त बैंक द्वारा मास्टर पॉलिसीधारक 2839/00000484/999/00 के रूप में प्रशासित की जाएगी।

मैं एतद्वारा आपकी शाखा में चल रहे अपने बचत खाते में से आज रुपये 12/- तथा सेवा कर, यदि लागू हो और 31 मई को या उससे पूर्व प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष में अगले प्रतिकूल निर्देशों तक मुझे तुरंत सूचना सहित (जो लागू न हो काट दें) रुपये बारह या संशोधित निर्णित राशि की कटौती करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ/करती हूँ।

मैं एतद्वारा अपनी मृत्यु होने पर योजना के अंतर्गत लाभों के लिए उपरोक्त नामिति को नामित करता हूँ/करती हूँ। नामिति के 18 वर्ष की आयु तक पहुँचने से पूर्व मेरी मृत्यु की दशा में, योजना के अंतर्गत लाभों को प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं एतद्वारा उपरोक्त नामिति के विधिक अभिभावक को नियुक्त करता हूँ/करती हूँ।

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैं किसी अन्य बैंक के बचत खाते के अंतर्गत प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में बीमित नहीं हूँ। ऐसा पाए जाने पर प्रीमियम जब्त हो जाएगी तथा किसी दावे का भुगतान नहीं किया जाएगा।

मैं योजना में नामांकन की तिथि के पश्चात् अगले माह की पहली तारीख से कवर आरंभ करने के लिए सहमत हूँ।

मैं मास्टर पॉलिसी के आरंभ होने के बाद भी योजना में शामिल होने पर पूरे वार्षिक प्रीमियम के भुगतान के लिए सहमत हूँ।

मैं सहमत हूँ कि योजना में मेरी सदस्यता वार्षिक नवीकरण की तिथि पर 70 वर्ष की आयु होने तक तथा सभी देय प्रीमियमों का भुगतान करने तक बनी रहेगी।

मैं उपरोक्त योजना के सभी नियमों व शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं आपके द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अपने शामिल होने के बारे में यथावश्यक, मेरा व्यक्तिगत विवरण चोलामण्डलम एम. एस. जनरल इनश्योरेंस कंपनी को देने के लिए सहमत हूँ।

मैं एतद्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सभी विवरण पूर्ण रूप से सत्य है तथा मैं सहमत हूँ तथा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि यह जानकारी उपरोक्त योजना में शामिल होने के लिए आधार होगी तथा यदि कोई सूचना गलत पाई जाती है तो मेरी सदस्यता रद्द समझी जाएगी।

दिनांक : _____

खाताधारक के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर सत्यापित
(बैंक शाखा प्राधिकारी)

पावती सह बीमा प्रमाणपत्र

हम एतद्वारा श्री/श्रीमती बचत खाता सं. आधार संख्या (यदि उपलब्ध हो) जिन्होंने मास्टर पॉलिसी संख्या 2839/00000484/000/00 के अंतर्गत चोलामण्डलम् एम. एस. जनरल इनश्योरेंस कंपनी में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल होने के लिए निर्दिष्ट बचत बैंक खाते से स्वतः निकासी के लिए सहमति दे दी है और प्राधिकृत कर दिया है, से "सहमति-सह-घोषणा पत्र" की प्राप्ति स्वीकार करते हैं और पात्रता और विचार राशि की प्राप्ति के बारे में जानकारी की शुद्धता के अधीन योजना के अनुसार कवरेज प्रमाणित करते हैं।

प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर व मोहर

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना

योजना के नियम

- योजना की पात्रता: 18 से 70 वर्ष की आयु के सहभागी बैंकों में सभी बचत बैंक खाताधारक इस योजना में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि किसी व्यक्ति के एक या अलग-अलग बैंकों में अनेक बचत बैंक खाते हैं तो वह व्यक्ति केवल एक बचत बैंक खाते के माध्यम से इस योजना में भाग लेने का पात्र होगा/होगी। बैंक खाते के लिए 'आधार' प्राथमिक केवाईसी होगा।
- नामांकन: सुरक्षा बीमा 1 जून, 2015 से 31 मई, 2016 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए होगा। आवेदक, पंजीकरण/ऑटो डेबिट के लिए अनिश्चित / लम्बी अवधि का विकल्प दे सकते हैं, परन्तु यह शर्तों के साथ योजना जारी रहने पर निर्भर होगा जिन्हें संशोधित किया जा सकता है। योजना में भाग लेने की सहमति देने वाले और ऑटो डेबिट का विकल्प देने वाले 18 (पूर्ण वर्ष) और 70 वर्ष (इस आयु की निकटतम जन्म तिथि) आयु के सहभागी बैंकों के बचत बैंक खाताधारकों का इस योजना में पंजीकरण किया जाएगा।
- लाभ और बीमाकृत राशि: इस योजना के तहत बीमाकृत व्यक्ति की दुर्घटना होने पर देय लाभ इस प्रकार हैं :

	लाभ तालिका	बीमाकृत राशि (रुपये में)
a	मृत्यु	2,00,000
b	दोनों आंखों की पूर्ण और आंशिक क्षति या दोनों हाथों या पैरों का प्रयोग न कर पाना या एक आंख की दृष्टि चले जाना और एक हाथ या पैर का प्रयोग न कर पाना	2,00,000
c	एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और आंशिक क्षति या एक हाथ या पैर का प्रयोग न कर पाना	1,00,000

- प्रीमियम: प्रति वर्ष 12 रु। प्रीमियम एक किश्त में प्रत्येक वार्षिक कवरेज की अवधि की पहली जून को या इससे पहले ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बचत बैंक खाते से काट लिया जाएगा। यदि ऑटो डेबिट एक जून के बाद होता है तो ऑटो डेबिट के ठीक बाद वाले माह की पहली तारीख से बीमा सुरक्षा शुरू होगी। ऐसे मामलों में भी, बीमा कवर अगले वर्ष की 31 मई तक जारी रहेगा।
- बीमा कवर की समाप्ति: सदस्य के लिए दुर्घटना बीमा सुरक्षा निम्नलिखित कोई भी घटना होने पर समाप्त हो जाएगा और उसके तहत कोई लाभ देय नहीं होगा: -
 - 70 साल की आयु प्राप्त होने पर (इस आयु की निकटतम जन्म तिथि)
 - बैंक में खाता बंद होना या बीमे को प्रभावी बनाए रखने के लिए अपर्याप्त शेष रहना
 - यदि किसी सदस्य को 1 से अधिक खातों के माध्यम से बीमा सुरक्षा दी गयी है तथा बीमा कंपनी द्वारा गलती से प्रीमियम प्राप्त किया गया है तो बीमा सुरक्षा केवल एक खाते तक सीमित होगी तथा प्रीमियम को जब्त किया जा सकता है।
 - यदि किसी तकनीकी कारण जैसे कि देय तिथि को अपर्याप्त शेष के कारण या किसी प्रशासनिक समस्या के कारण बीमा सुरक्षा बंद कर दी जाती है तो उसे संपूर्ण वार्षिक प्रीमियम प्राप्त होने पर पुनः शुरू किया जा सकता है। इस अवधि के दौरान जोखिम बीमा सुरक्षा निलंबित रहेगा तथा जोखिम बीमा सुरक्षा को एकमात्र बीमा कंपनी के विवेक पर ही शुरू किया जाएगा। सहभागी बैंक प्रत्येक वर्ष मई में प्रीमियम राशि काट लेंगे और उसी माह बीमा कंपनी को देय राशि भेज देंगे।